



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072024-255813
CG-DL-E-27072024-255813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2847]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946

No. 2847]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2024/SHRAVANA 4, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024

का.आ. 2988(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, आइजोल NH-150 के किमी. 0.00 से किमी. 42.800 और किमी. 60.00 से किमी. 140.00 मिजोरम राज्य तक के " पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में निर्माण " हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची
मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-150 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH150 के कि.मी 0 से कि.मी 42.8 तक	मिजोरम	ऐज़ौल	थिंग्सलठला	1 सेसवंग
						2 सेलिंग
						3 फाइवॉक
						4 मुअलमाम
					तलंगनुयम	1 सिंहफिर
2	अतिरिक्त जिला कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH150 के कि.मी 60 से कि.मी 140 तक	मिजोरम	ऐज़ौल	डरलॉन	1 न .खावदुंगसे
						2 वाइटिन
						3 लुआकछूअह
						4 थिन्सत
						5 नई वेरवेक
						6 लुंगसुम
						7 रतु
						8 सुनहलुछीप
						9 सैलुटर
						10 न .सेरजॉल
						11 सौलंग
						12 केप्रण
						13 इ .फाइलिंग
						14 खवरुहिलयन
						15 तुइरिनिकै
						16 फैलेंगे
						17 डारलॉन
						18 सकवर्डे
						19 तिपाईमुख

[फा. सं. NH-150/06/2024/MZ/Zone-V]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2024

S.O. 2988(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Construction of Two laning with Paved Shoulder" from km. 0.00 to 42.800 and from Km. 60.00 to Km. 140.00 of NH -150 under the Additional District Collector, Aizawl in the State of MIZORAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.- 150 in the State of MIZORAM.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Additional District Collector	NH150 KM 0 TO KM 42.8	MIZORAM	AIZAWL	Thingsulthliah	1 Sesawng 2 Seling 3 Phaibawk 4 Mualmam
					Tlangnuam	1 Sihphir
2	Additional District Collector	NH150 KM 60 TO KM 140	MIZORAM	AIZAWL	Darlawn	1 N.Khawdungsei 2 Vaitin 3 Luakchhuah 4 Thingsat 5 New Vervek 6 Lungsum 7 Ratu 8 Sunhluchhip 9 Sailutar 10 N.Serzawl 11 Sawleng 12 Kepran 13 E.Phaileng 14 Khawruhlian 15 Tuirinikai 16 Phailenge 17 Darlawn 18 Sakawrdai 19 Tipaimukh

[F. No. NH-150/06/2024/MZ/Zone-V]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.